न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 07/2017

श्रीमती रूकमा देवी पुत्री सूजा जाति जाट निवासी चून्दडी पत्नी श्री सुवालाल जाति जाट निवासी फरासिया तहसील किशनगढ (फौत) जरिये वारिसान

1. मु0 रामा देवी बेवा रामेश्वर लाल
2. सत्यनारायण पुत्र स्व0 रामेश्वर लाल
3. छन्ना देवी पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल
4. सरोज देवी पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल
5. मु0 छोटी देवी बेवा छोटूलाल
6. भागचन्द पुत्र स्व0 छोटूलाल
7. करण पुत्र स्व0 छोटूलाल
8. गायत्री पुत्री स्व0 छोटूलाल
9. कानाराम पुत्र स्व0 रूक्मा देवी
10. हरकरण पुत्र स्व0 रूक्मा देवी
11. कमला बेवा लालाराम
12. सरदार पुत्र स्व0 लालाराम
13. शारदा पुत्री स्व0 लालाराम
14. नेराज पुत्री स्व0 लालाराम
15. मनीष कुमार पुत्र स्व0 लालाराम
16. भोलूराम पुत्र स्व0 रूक्मा देवी
17. श्रीमती कमला पुत्री स्व0 रूक्मा देवी
18. श्रीमती रामेश्वरी पुत्री स्व0 रूक्मा देवी

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम फरासिया तहसील किशनगढ जिला–अजमेर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. मु0 नन्दू पुत्री मंगला बेवा श्योचन्द जाति जाट निवासी चुरली तहसील किशनगढ
2. युनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा तिलोनिया तहसील किशनगढ जिला–अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर। ..... प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री एस0पी0 ओझा — अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी — पैरोकार सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

आदेश

दिनांक :– 02.02.2018

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसील किशनगढ जिला अजमेर के राजस्व ग्राम चून्दडी स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 112 खाता संख्या पुराना 170 में अंकित खसरा नम्बर 157 रकबा 11–04–00 बीघा, खसरा नं0 159 रकबा 00–15–00 बीघा खसरा नं0 162 रकबा 17–07–00 बीघा खसरा नं0 166 रकबा 52–15–00 बीघा व 170/1 रकबा 15–07–10 बीघा कुल रकबा 97–08–17 बीघा भूमि के रेकार्डेड सहखातेदार नन्दू पुत्री मंगला जाति जाट निवासी ग्राम चून्दडी द्वारा खसरा नं0 157 रकबा 11–04–00 बीघा, खसरा नं0 159 रकबा 00–15–00 बीघा, खसरा नं0 162 रकबा 17–07–00 बीघा खसरा नं0 166 रकबा 52–15–00 बीघा भूमि में से अपने 1/2 हिस्से

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

की भूमि यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा तिलोनिया के समक्ष रहन कर दी। उक्त रहननामें के आधार पर तहसीलदार किशनगढ द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 710 दिनांक 03.11.2015 स्वीकृत कर दिया। अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 710 दिनांक 03.11.2015 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दू पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निश्चय किया गया। उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उन्हौने कथन किया कि विवादित भूमि श्री सूजा पुत्र श्री रघुनाथ की खातेदारी की भूमि थी। श्री सूजा की मृत्यू पश्चात मृतक के वारिसान में मंगला पुत्र सूजा उर्फ सूवा व रूक्मा पुत्री सूजा उर्फ सूवा थे, किन्तू श्री मंगला ने गलत रूप से विवादित भूमि की विरासत का नामान्तरकरण अकेले अपने नाम करवा लिया तथा मंगला की मृत्यु पश्चात मृतक की विरासत मृतक की पत्नी हीरा बेवा मुगला व नंदू पुत्री मंगला के नाम दर्ज कर दी गई जबकि सूजा की पुत्री रूकमा विवादित आराजी में 1/2 हिस्से की अधिकारी थी। अपीलान्ट्स को इन तथ्यों की जानकारी होने पर उनके द्वारा सहायक कलक्टर किशनगढ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के तहत राजस्व वाद खातेदारी उद्घोषणा, बॅटवारा हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व हीरादेवी तथा तथा नन्दा पुत्र माधू के विरूद्ध मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पेश किया। सहायक कलक्टर किशनगढ द्वारा रूकमा देवी बनाम मु0 हीरा के प्रकरण संख्या 58 ए/2000 में दोनो पक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 24.04.2004 के द्वारा मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं उनकी माता हीरा देवी को विवादित भूमि को किसी भी तरह से विक्रय, हस्तान्तरण, वसीयत, बंधक आदि नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया था। उक्त आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई जिससे उक्त आदेश अन्तिम रहा। जब सक्षम न्यायालय में घोषण व स्थाई निषेधाज्ञा के अलग–अलग दावे प्रस्तुत किये गये हों तथा जिनमें राजस्व रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने के आदेश प्रभावी हो, ऐसी स्थिति में राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान RRD 2004 पेज 730 व RRT 2001(2) पेज 1011 की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा के बावजूद हीरा देवी ने अपनी सम्पूर्ण हिस्से की आराजी दिनांक 22.09.2009 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उसकी पुत्री के नाम जरिये रजिस्टर्ड डीड हक त्याग दिया, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 438 दिनांक 07.10.2009 से विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम दर्ज कर दी गई। उन्हौने आगे कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन वाद में विवादित आराजी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के विरूद्ध पारित होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा न्यायालय आदेश की अवहेलना करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में रहन कर ऋण प्राप्त कर लिया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियम विरूद्ध आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अपीलान्ट्स

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

द्वारा प्रस्तुत वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 पक्षकार है जिन्हें उक्त आदेशों की जानकारी होने के बावजूद आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत करने में भारी भूल की गई है। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि के संदर्भ में 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा व बॅटवारा का वाद विचाराधीन है जिसे डिफिट करने के उद्धेश्य से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में विवादित भूमि को रहन कर ऋण प्राप्त किया है जिसे प्राप्त करने का उन्हे कोई अधिकार नहीं था। अन्त में उन्हौने कथन किया कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 710 दिनांक 03.11.2015 निरस्त किया जावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स की बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम बहैसियत खातेदार दर्ज है। नियमानुसार कोई भी व्यक्ति अपनी खातेदारी में अंकित कृषि भूमि को विक्रय, रहन, बख्शीश इत्यादि करने का अधिकार रखता है। अतः अपील अपीलान्ट्स निरस्त फरमाई जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स द्वारा सहायक कलक्टर किशनगढ के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसके तहत पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 24.4.2004 से रेस्पोडेन्ट्स को पांबद किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का राजस्व रेकार्ड में कोई अंकन नहीं किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार किशनगढ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे अभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के साथ ही न्यायालय निर्णय की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.02.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

02/02/18

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner